न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 252/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए 136 एलआरएक्ट

संदीप कस्वा पुत्र बलराम कस्वां जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया। वादीगण

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2 रोशनी देवी पुत्री बलराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
3 दर्शना देवी पुत्री बलराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2– श्री कालू गुर्जर वकील प्रति.सख्या 1 ता 3
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय दिनांक :– 14.1.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसकें तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एव प्रतिवादी सं.1 ता 3 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है । वादी एवं प्रतिवादीगण सं.1 ता 3 के नाम से चक नं.–14बी.ज़ी.पी. जमांबदी सम्वत–2071–2074 के खाता सं.–141/102 में 0.112 है. ब.हि.ब. व इसी चक के के खाता सं.–79/64 में 0.379है. कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं.1 ता 3 के पिता बलराम पुत्र मगलूराम के नाम से दर्ज है चक नं.–15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं.–251/160 में 0.028है. कृषि भूमि ब.हि.ब. व इसी के ख़ाता सं.–105/72 में 1.518है. कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चुकी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता बलराम पुत्र मगलूराम व माता सोनादेवी व गुडडीदेवी की मृत्यु हो चुकी हैं जिनके जायज व कानूनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ही हैं इनके अलावा ओर कोई वारीसान नही है। मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीसनामा की चित्रप्रति व जमाबंदीयों की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वाद–पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित चक नं.–14बी.जी.पी. जमांबदी सम्वत–2071–2074 के खाता सं.–141/102 में 0.112 है. ब.हि.ब. व इसी चक के के खाता सं.–79/64 में 0.379 है. कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं.1 ता 3 के पिता बलराम पुत्र मगलूराम के नाम से दर्ज है चक नं.–15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं.–251/160 में 0.028 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. व इसी के ख़ाता सं.–105/72 में 1.518है. कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता दर्ज कृषि भूमियों को वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 निर्विवाद रूप से शन्तिपूर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहें है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अपना हिस्सा घोषित करवाकर खाता विभाजित करवाकर चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 79/64 व चक 15 बी.जी. पी. के खाता सं. 105/72 से पिता बलराम पुत्र मलूराम उर्फ मगलूराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मौका पर अच्छी मन्दी व घरेलू बटवारा के हिस्सानुसार ही अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर निर्विवाद रूप काश्त करता चले आ रहा है कब्जा कास्त बाबत कोई विवाद नही है जिसका वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 79/64 व चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 105/72 अपने नाम से हिस्सा घोषित करवाकर बलराम पुत्र मलूराम उर्फ मगलूराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं.1 ता 3 के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से हैः–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1. संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ चक 15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं.–251/160 प.नं. 171/157 मुरब्बा नं. 82 किला नं. 2/4/0.024 है. 2/7/0.004 है.

2. संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां 0.423 है. रोशनी देवी पुत्री बलराम 0.421है. दर्शना देवी पुत्री बलराम 0.421 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)। चक 15बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं.–105/72 प.नं. 174/153 मुरब्बा नं. 56 किला नं. 18,19,21,22,23/0.253है. प्र. कुल –1.265 है. नहरी कृषि भूमि

3. महावीरप्रसाद पु. बलराम 0.064 है., संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां 0.063 है, रोशनी देवी पुत्री बलराम 0.063 है. दर्शना देवी पुत्री बलराम 0.063 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) चक 15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं.–105/72 प.नं. 171/157 मुरब्बा नं. 82 किला नं. 10/0.253है. बारानी कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 1 महावीरप्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)। चक 14बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता सं.–79/64 प.नं. 177/157 मुरब्बा नं. 41 किला नं. 1/0.240है. गै. मु. रास्ता/0.013 है. 2/2/0.120है. गै.मु.रास्ता/0.006 है. कुल–0.379है. नहरी कृषी भूमि चक 14 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता सं. –141/102 प.नं. 176/157 मुरब्बा नं. 42 किला नं. 6/4/0.025 है.6/5/0.003है. गै. मु. रास्ता 15/3/0.075है.,15/6/0.009 है. गै.मु.रास्ता कुल–0.112है नहरी कृषि भूमि

वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 व 6 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा होना चरण सं. 6 अनुसार विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं.–79/64 में वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमती से आने–जाने एवं आवागमन हेतु प.नं. 177/157 मु.नं. 41 किला नं.–1/0.013है. गै.मु.रास्ता, 2/2 / 0.006है. गै. मु.रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 251/160 में 0.021 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं. 105/72 में वादी को 0.486 है., प्रतिवादी सं. 1 को 0.064है. प्रतिवादी सं. 2 को 0.484है, प्रतिवादी सं.3 को 0.484 है. का खातेदार काश्तकार घोषित करबलराम पुत्र मंगलूराम का नाम कलमजन., चक 14 बी.जी.पी के खाता सं. 141/102 में प्रतिवादी सं.1 को 0.084 है. का खातेदार कांश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं.79/64 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.379है. का. खातेदार काश्तकार घोषित कर बलराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है प्रतिवादी सं. 4 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है। वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 251/160 में 0.021 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं. 105/72 में वादी को 0.486 है., प्रतिवादी सं. 1 को 0.064 है. प्रतिवादी सं. 2 को 0.484है., प्रतिवादी सं.3 को 0.484 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर बलराम पुत्र मंगलूराम का नाम कलमजन., चक 14 बी.जी.पी के खाता सं. 141/102 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.084 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी. सं. 2 व 3 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं.79/64 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.379है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर बलराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन किया जावे एव वाद पत्र की चरण सं. 5 के खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) के अनुसार खाता विभाजित किया जावें तथा चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं.–79/64 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 तां 3 ने सहमती से आने–जाने एवं आवागमन हेतु पं.नं. 177/157 मु.नं. 41 किला नं.–1/0.013है. गै.मु.रास्ता, 2/2/0.006 है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उंचित समझे दिलाया जावे। वादी संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रांवली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब स्टेट प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसिल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संदीप ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 14 बीजीपी खाता संख्या 79/64 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 14 बी.जी.पी. खाता संख्या 141/102 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 15 बीजीपी खाता संख्या 251/160 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी पेश की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में सहमति/राजीनामा होने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 14 बीजीपी खाता संख्या 79/64 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 14 बी.जी.पी. खाता संख्यां 141/102 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 15 बीजीपी खाता संख्या 251/160 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनक्रीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति हो चुकी है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

महायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 14 बीजीपी खाता संख्या 79/64 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 14 बी.जी.पी. खाता संख्या 141/102 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 एवं चक 15 बीजीपी खाता संख्या 251/160 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका हिस्सा कम/ज्यादा किये जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने एवं बलराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि चक 15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत. 2072–2075 के खाता सं.–251/160 प.नं. 171/157 मुरब्बा नं. 82 किला नं. 2/4/0.024 है. 2/7/0.004 है.
2. संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां 0.423 है. रोशनी देवी पुत्री बलराम 0.421है. दर्शना देवी पुत्री बलराम 0.421 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा की भूमि चक 15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं.–105/72 प.नं. 174/153 मुरब्बा नं. 56 किला नं.18,19,21,22,23/0.253 है. प्र. कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि
3. महावीरप्रसाद पुत्र बलराम 0.075 है., संदीप कस्वां पुत्र बलराम कस्वां 0.052 है, रोशनी देवी पुत्री बलराम 0.063 है. दर्शना देवी पुत्री बलराम 0.063 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि चक 15 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं. 105/72 प.नं.171/157 मुरब्बा नं. 82 किला नं. 10/0.253 है.
4. प्रतिवादी सं. 1 महावीरप्रसाद पुत्र बलराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा की भूमि चक 14 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता सं. 79/64 प.नं. 177/157 मुरब्बा नं. 41 किला नं. 1/0.240 है. गै. मु. रास्ता/0.013 है. 2/2/0.120 है. गै.मु.रास्ता/0.006 है. कुल 0.379 है. नहरी कृषी भूमि चक 14 बी.जी.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता सं. 141/102 प.नं. 176/157 मुरब्बा नं. 42 किला नं. 6/4/0.025 है. 6/5/0.003 है. गै. मु. रास्ता 15/3/0.075 है., 15/6/0.009 है. गै.मु.रास्ता कुल 0.112 है नहरी कृषि भूमि

अतः वादी एव प्रतिवादीगण की सहमति पर चक 14 बीजीपी के प.न. 177/157 मु.न. 41 के किला न. 1/0.013 है. गै.मु. रास्ता किला नम्बर 2/2/0.006 है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार,राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया